VERSION – 2

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/991 भोपाल, दिनांक 29/06/2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– प्रदेश में माह जुलाई में स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' संचालित करने बाबत्।
संदर्भः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का पत्र क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/948 दिनांक 25.06.2020.

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रदेश में माह जुलाई में **स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना''** संचालित करने संबंधित निर्देश जारी किये गये है उक्त निर्देश में निम्नानुसार संशोधन कर दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

प्रदेश में कोविड–19 बीमारी की ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने और आमजन को कोविड–19 रोग से बचाव हेतु और अधिक जागृत करने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में माह जुलाई में दिनांक 01.07.2020 से 15.07.2020 तक **स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना''** संचालित किया जाना है। इस अभियान में सर्वे दल द्वारा घर–घर जाकर बुखार के रोगियों की खोज की जायेगी तथा बुखार के रोगी पाये जाने पर लक्षण के आधार पर उनकी कोविड–19/मलेरिया/डेंगू की जांच हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

क्र	बुखार क साथ अन्य लक्षण	संभावित रोग	सर्वे दल द्वारा अपेक्षित कार्यवाही	रिमार्क
1	विगत 10 दिवसो के भीतर खॉसी/सांस लेने में कठिनाई के साथ बुखार ($>38^0C/100.4^0F$)/गले में खराश/ दर्द	कोविड–19	रोगी की जानकारी सार्थक एप में स्वयं के द्वारा दर्ज कराये अथवा निर्धारित प्रपत्र 01 (मेनुअल) में जानकारी प्राप्त की जाये। सार्थक ऐप के माध्यम से संबंधित व्यक्ति की जानकारी एम.एम.यू. को प्रेषित की जाये।	संभावित रोगी की विगत 7 दिवस में किसी प्रकार की यात्रा/किसी कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाए। संभावित रोगियों को सलाह दी जावे की अन्य व्यक्तियों से दूरी बनाये रखे तथा खॉसने/छींकने के समय मास्क/गमछा/रूमाल का उपयोग करें।
2	बुखार के साथ यदि कंप–कपी, सिरदर्द/उल्टी/कमजोरी/चक्कर तथा पसीना आकर बुखार उतर जाना।	मलेरिया	संभावित रोगियों की जानकारी (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) प्राप्त की जाये।	ए.एन.एम. द्वारा रोगी की प्रांरभिक जांच कर संभावित मलेरिया के लक्षण पाये जाने पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट से जांच तथा मलेरिया पॉजिटिव पाये जाने पर मलेरिया के प्रकार के अनुसार पूर्ण उपचार सुनिश्चित कराया जावे। पी.एफ. मलेरिया पॉजिटिव को 03 दिन तथा पी.व्ही. मलेरिया पॉजिटिव को 14 दिवस का उपचार सुनिश्चित कराया जावे। केवल मलेरिया पॉजिटिव पाये जाने पर ही रोगी की जानकारी सार्थक ऐप/डेली सर्वे समरी फार्म में एंट्री की जाये।

3	तेज बुखार के साथ ऑखो के पीछे दर्द/ मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द/शरीर पर लाल चकत्ते होना	डेंगू	संबंधित व्यक्ति को नजदीकी फीवर क्लीनिक में चिकित्सकीय परामर्श हेतु भेजा जावे।	फीवर क्लीनिक में संभावित डेंगू बुखार के लक्षण पाये जाने पर बुखार की अवधि के आधार पर लैब जांच हेतु सैम्पल लिया जाये:– प्रथम 05 दिवस के बुखार के दौरान एन.एस. 1 एलाइजा एंटीजन जांच हेतु सैम्पल तथा 05 दिवस से अधिक के बुखार हेतु मैक एलाइजा एंटीबॉडी जांच हेतु सैम्पल सैम्पल को लैब जांच हेतु जिला चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा जाये। केवल डेंगू पॉजिटिव पाये जाने पर ही रोगी की जानकारी सार्थक ऐप/डेली सर्वे समरी फार्म में एंट्री की जाये।
4	• अन्य बुखार के रोगी (जिनमें उपरोक्त लक्षण नहीं है।) • डायरिया, गर्भवती मातायें तथा अन्य टीकाकरण से छूटे हुये बच्चे।	अन्य बुखार	संबंधित व्यक्ति को नजदीकी फीवर क्लीनिक में चिकित्सकीय परामर्श हेतु भेजा जावे।	फीवर क्लीनिक मे संभावित बुखार के रोगी का चिकित्सकीय परीक्षण कर अन्य आवश्यक जांच तथा उपचार का परामर्श दिया जाये।

उपरोक्तानुसार बुखार के साथ लक्षणों के आधार पर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' हेतु प्रदेश के जिलो में औसत आवश्यक दलो की जानकारी पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है। अभियान में समस्त राज्य स्तर के प्रशिक्षण उपरांत समस्त जिले दिनांक 30.06.2020 के पूर्व विकास खण्डवार सर्वे दल गठित कर उनका प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

इस व्यापक ''किल कोरोना'' अभियान का प्रांरभ जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अभियान में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें। सर्वे दल की आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ता पायलट के रूप में गृह भेंट करेगी, आवश्यकतानुसार ए.एन.एम./ एम.पी.डब्ल्यू./एम.पी.एस. एवं दल के अन्य सदस्य *SARI/ILI व अन्य प्रकरणों की जांच कर सार्थक एप में दर्ज करेगें तथा संभावित रोगी को स्वास्थ्य संस्थान या फीवर क्लीनिक में रेफर करेंगें। संभाग स्तर पर संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी।

अभियान प्रारंभ करने के पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ताओं के पास पर्याप्त सर्वेलेंस के संसाधन (Non Contact Thermometers, Pulse oximeters, Biomedical Waste Collection bags, Triple layer/Medical Masks, Gloves, Essential Medicines Etc.) एवं उपचार हेतु औषधियां उपलब्ध हो।

सर्वेलेंस कार्य हेतु बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ए.एन.एम., बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, बी.ई.ई., एल.एच.व्ही., मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया टेक्नीकल सुपरवाइजर, सहित अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की जावे। स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' में किये गये कार्य की रिपोर्टिंग सर्वे दल द्वारा प्रतिदिन सर्वे में पाये गये संभावित SARI/ILI की जानकारी ***mphealthresponse portal*** के Daily Survey Summary (DSS) Form में एंट्री करना सुनिश्चित करें।

संभाग स्तर पर संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी।

संलग्नः–विशेष फीवर सर्वेलेंस हेतु दिशानिर्देश।

*नोटः– SARI/ILI केस डेफिनेशन।

ILI- Any Person with an acute respiratory infection (sudden cough and sore throat) with measured fever of ≥38^0C(≥100.4^0F); with onset within the last 10 days.

SARI- Any person with: an acute respiratory infection (sudden cough and sore throat) with measured fever of ≥38^0C(≥100.4^0F); with onset within the last 10 days AND Requires Hospitalization.

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / डी–4 / 2020 / 992 **भोपाल, दिनांक** 29/06/2020.

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
3. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.।
5. अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म.प्र.।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल।
7. अपर संचालक, व्ही.बी.डी.सी.पी / स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
8. अपर संचालक, आई.डी.एस.पी / स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, समस्त संभाग, म.प्र.
10. कलेक्टर, समस्त जिला म.प्र.।
11. कीटविज्ञानी झोन इन्दौर एवं भोपाल म.प्र.।
12. सलाहकार कीटविज्ञानी, व्ही.बी.डी.सी.पी.–एन.एच.एम. म.प्र.।
13. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
14. समस्त, जिला व्ही.बी.डी. सलाहकार म.प्र.।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. म.प्र.।
16. समस्त जिला सर्वेलेंस अधिकारी, म.प्र.।
17. समस्त एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।
18. समस्त मॉनिटरिंग एवं इवेल्यूशन अधिकारी, म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' हेतु दिशा निर्देश

- स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' प्रदेश के समस्त जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर की जाना होगी।
- स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' हेतु जिले की जनसंख्या के आधार पर दल गठित किये जाये। प्रदेश के जिलों में जनसंख्या के आधार पर अनुमानित आवश्यक दल की संख्या की जानकारी प्रपत्र 01 के माध्यम से पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है।
- गठित दलों में कुल 03 से 05 सदस्य रखे जाये जिनमें से कम से कम एक सदस्य आशा / आगंनवाड़ी कार्यकर्ता तथा कम से कम 01 मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ए.एन.एम./ एम.पी.डब्ल्यू./एम.पी.एस. को रखा जाये। दल में अन्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों को रखा जा सकता है।
- स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' हेतु गठित सर्वे दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जावे जो कि सुविधानुसार सेक्टर स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान सर्वे दलों को कोविड–19 के लक्षणों, रैपिड डायग्नोस्टिक किट के उपयोग तथा मलेरिया के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण हेतु दक्ष चिकित्सा अधिकारी, जिला सर्विलेन्स अधिकारी, एपिडेमियोलोजिस्ट, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन, मलेरिया टैक्नीकल सुपरवाइजर का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समस्त सर्वे दलों को सार्थक एप में ऐंट्री करने तथा संभावित SARI/ILI की जानकारी ***mphealthresponse portal*** के Daily Survey Summary (DSS) Form में एंट्री करने संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी जिला स्तर से प्रदान किया जायें।
- स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन ''किल कोरोना'' हेतु प्रतिदिन प्रतिदल द्वारा लगभग 100 घरों (जिसमें लगभग 400–500 की जनसंख्या) का फीवर सर्वे किया जाये।
- स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन का माइक्रो प्लान दिनांक 30.06.2020 तक राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये। माइक्रो प्लान में सर्वे दल के भ्रमण की जानकारी तिथिवार सम्मिलित होना चाहिये।
- प्रति दल के पास पर्याप्त मात्रा में जांच एवं उपचार हेतु निम्न औषधियां एवं सामग्रियां उपलब्ध होना चाहिये :–
    1. पल्स ऑक्सीमीटर।
    2. नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर/इन्फ्रारेड थर्मामीटर।
    3. ट्रिपल लेयर/मेडिकल मास्क।
    4. सर्जिकल ग्लव्स एवं कॉटन।
    5. सेनिटाईजर।
    6. बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन बैग (including punture proof container for used lancets)
    7. रैपिड डायग्नोस्टिक किट।
    8. गोली क्लोरोक्वीन।
    9. गोली प्राइमाक्वीन।
    10. ए.सी.टी. किट।
    11. गोली पैरासिटामॉल।
    12. रिपोंटिंग प्रपत्र।
    13. सामान्य प्रश्नोत्तर। (Standardised FAQ.)

स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन "किल कोरोना" हेतु फीवर सर्विलेंस कार्य

- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी फीवर सर्विलेंस कार्य हेतु तिथिवार कार्य योजना बनाना सुनिश्चित करेगें। इसमें ग्राम का नाम, टीम के भ्रमण का दिनांक, टीम का नाम, टीम लीडर के सदस्यों की जानकारी भी स्पष्ट दर्ज करेंगे।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यरत खण्ड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर चिन्हित क्षेत्र में सर्विलेंस कार्य हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ANM/MPW/MPS/LHV) की नामजद ड्यूटी लगाकर कार्ययोजना तैयार की जावें।
- कार्ययोजना में ग्राम का नाम, टीम के भ्रमण का दिनांक, टीम के सदस्यों की जानकारी भी स्पष्ट दर्ज की जावें। दलों की अनुमानित संख्या पत्र के साथ प्रदाय किये गये प्रपत्र 01 मे दी जा रही है।
- सर्वे के दौरान विगत 07 दिवसो में किसी प्रकार की यात्रा/किसी कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्ति से सम्पर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाऐं।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर–घर भ्रमण कर बुखार के रोगियों की खोज करने हेतु आवश्यक प्रश्नोत्तर पूछना सुनिश्चित करेगें एवं सार्थक ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज सुनिश्चित करेगें।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से जिले से जिला स्तर के अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी को स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन के पर्यवेक्षण हेतु नामांकित किये जावे।
- सर्वे के दौरान सर्वे दल द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाऐं तथा समय समय पर सेनिटाईजर का उपयोग करना भी सुनिश्चित करें।
- सर्वे के दौरान निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट सामग्री को नियमानुसार निर्धारित बायोमेडिकल वेस्ट बेग में निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त बुखार के रोगियों की रेपिड डायग्नोस्टिक किट द्वारा मलेरिया की जाँच सुनिश्चित की जावें। विशेष परिस्थितियों में आर.डी.के. की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में रक्तपट्टी से जाँच अनिवार्य रूप से की जावें।
- बुखार के रोगियों की जाँच में मलेरिया पॉजिटिव पाये जाने पर मलेरिया के प्रकार (PV/PF) के अनुसार पूर्ण उपचार सुनिश्चित किया जाना है। यह कार्य उस कार्यकर्ता/स्थानीय आशा द्वारा अपने समक्ष सुनिश्चित किया जावेगा जिसके द्वारा जाँच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया है।
- मलेरिया पॉजिटिव रोगी को आवश्यक उपचार स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा समक्ष में दिया जावें।

प्रपत्र क्र. 01 – जनसंख्या के आधार पर आवश्यक अनुमानित जिलावार दलों की संख्या

District wise estimated Survey Teams For Mass Fever Surveillance Campaign

S. No.	District	Target population 2020	Population to be covered per Day	Total Teams Required for Mass Fever Surveillance Campaign
1	Agar Malwa	709700	47313	95
2	Alirajpur	852929	56862	114
3	Anuppur	831653	55444	111
4	Ashoknagar	1014085	67606	135
5	Balaghat	1905902	127060	254
6	Barwani	1718492	114566	229
7	Betul	1748652	116577	233
8	Bhind	1992516	132834	266
9	Bhopal	2980539	198703	397
10	Burhanpur	886681	59112	118
11	Chhattarpur	2071830	138122	276
12	Chhindwara	2336877	155792	312
13	Damoh	1453435	96896	194
14	Datia	917355	61157	122
15	Dewas	1838569	122571	245
16	Dhar	2688525	179235	358
17	Dindori	838384	55892	112
18	Guna	1539884	102659	205
19	Gwalior	2479084	165272	331
20	Harda	673149	44877	90
21	Hoshangabad	1403234	93549	187
22	Indore	4226939	281796	564
23	Jabalpur	2783517	185568	371
24	Jhabua	1306936	87129	174
25	Katni	1537530	102502	205
26	Khandwa	1558973	103932	208
27	Khargone	2257020	150468	301
28	Mandla	1223690	81579	163
29	Mandsaur	1494558	99637	199
30	Morena	2378824	158588	317
31	Narsimhapur	1228336	81889	164
32	Neemuch	925195	61680	123
33	Panna	1184246	78950	158
34	Raisen	1551311	103421	207
35	Rajgarh	1862706	124180	248
36	Ratlam	1709706	113980	228
37	Rewa	2779000	185267	371
38	Sagar	2794688	186313	373
39	Satna	2607854	173857	348
40	Sehore	1560485	104032	208
41	Seoni	1599791	106653	213
42	Shahdol	1231303	82087	164
43	Shajapur	1029884	68659	137
44	Sheopur	828873	55258	111
45	Shivpuri	2071260	138084	276
46	Sidhi	1363710	90914	182
47	Singrauli	1472840	98189	196
48	Tikamgarh	1705296	113686	227
49	Ujjain	2265025	151002	302
50	Umaria	789596	52640	105
51	Vidisha	1721473	114765	230
	Total	**85932040**	**5728803**	**11458**

स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन "किल कोरोना" हेतु पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न

1. घर में विगत 07 दिवसों में किसी सदस्य को बुख़ार अथवा सर्दी, खांसी जैसे लक्षण आये है क्या ? हॉ नहीं

2. घर में सर्वे के दौरान पाये गये बुख़ार के रोगी द्वारा क्या विगत 07–10 दिवसों में यात्रा की गई है? हॉ नहीं

3. घर में सर्वे के दौरान पाये गये बुखार के रोगी का किसी कोविड–19 पॉजिटिव रोगी से संपर्क का इतिहास है क्या? हॉ नहीं

4. जिन रोगियो को बुखार के साथ सर्दी खॉसी/सांस लेने में तकलीफ/गले में खराश/दर्द है उन्हें डायविटिस, हाईपरटेन्शन, कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग आदि जैसे असंचारी रोग/उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है/ उनमें से कोई गंभीर रोग से पीड़ित है? क्या? हॉ नहीं

5. घर में कोई गर्भवती महिला है क्या? हॉ नहीं

6. क्या घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका टीकाकरण छूटा हो? हॉ नहीं

7. क्या घर में किसी सदस्य को बुखार नही है परंतु उल्टी, दस्त या चक्कर के लक्षण है ? हॉ नहीं

➢ *यदि उपरोक्त प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर हां है तो आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ANM/MPW/MPS/LHV को सूचित करेगी।*

स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन "किल कोरोना" हेतु अन्य निर्देश

- आशा/आंगनवाडी कार्यकर्ता – क्षेत्र के प्रत्येक घरों का भ्रमण तथा व्यक्तियों की प्रारंभिक जांच (प्रश्नोत्तर द्वारा)।
- एएनएम/एमपीडब्लू/एनएमएस/बहुउददशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/बीईई/एलएचव्ही – संबंधित ग्राम में बुखार के रोगियों की जाँच, पूर्ण उपचार एवं रिपोर्टिंग संबंधित कार्य।
- मुख्य विकासखण्ड अधिकारी/विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी – अपने क्षेत्र में कार्य हेतु कार्ययोजना तैयार कराना एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से सतत् सम्पर्क स्थापित करना तथा आवश्यक औषधियों/सामग्री की उपलब्धता, बुखार के रोगियों की जाँच तथा मौलिक उपचार का सत्यापन एवं रिपोर्टिंग संबंधी कार्य की व्यवस्था संबंधित कार्य करावेंगें।
- जिला सर्विलेंस अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला मलेरिया अधिकारी/जिला व्हीबीडी सलाहकार – पूर्ण कार्ययोजना की समीक्षा आवश्यक तैयारी को अंतिम रूप देना, दैनिक रूप से क्षेत्र में किये गये कार्य की समीक्षा करेगें।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी – स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैम्पेन को गुणवत्तापूर्ण संपादित कराने हेतु समय–सीमा में कार्ययोजना तैयार कराकर आवश्यक व्यवस्था संबंधी कार्य।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

Work Flow of Special Fever Screening Campaign - Kill CORONA

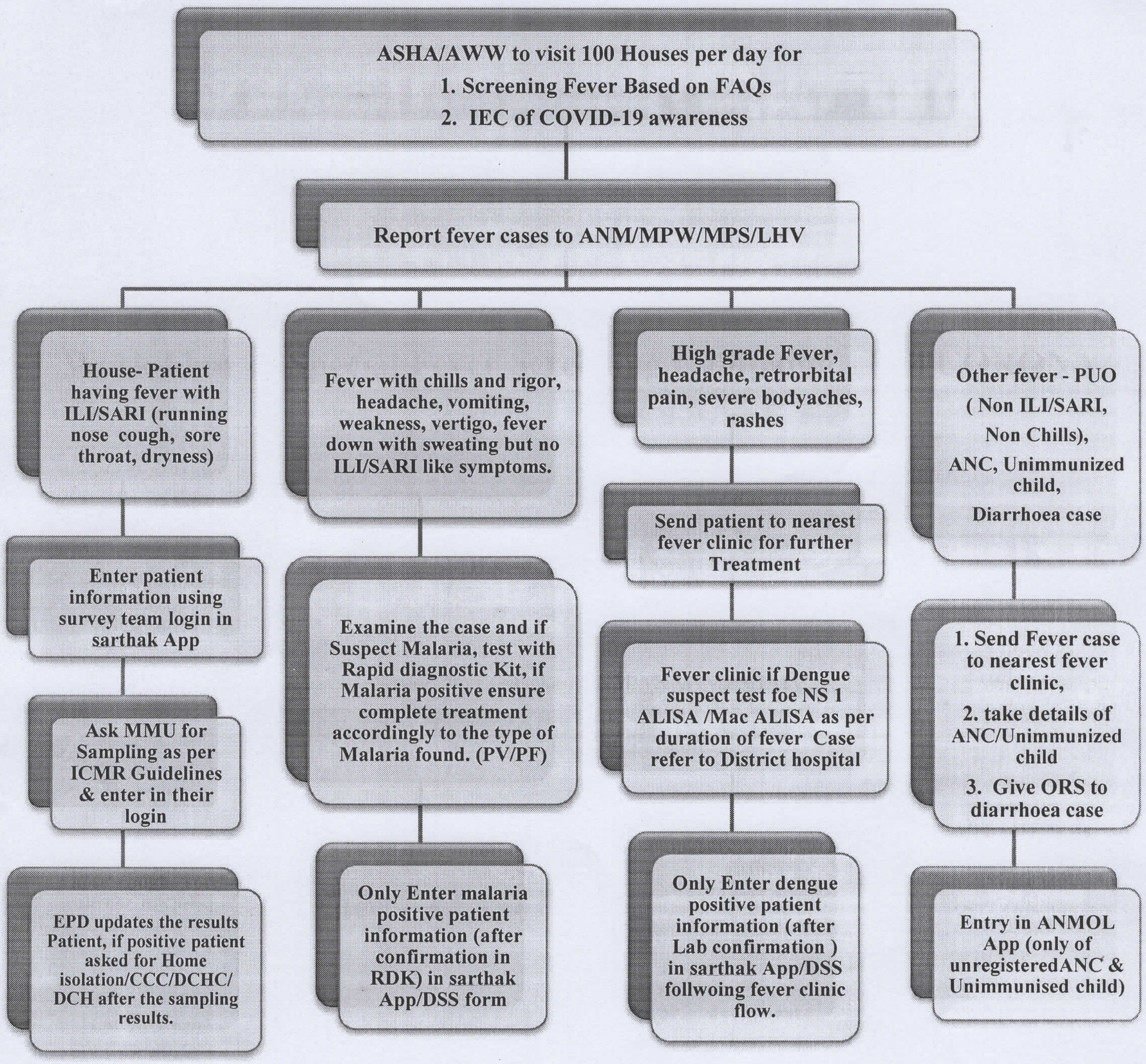

Kill CORONA campaign - Data Management

- Daily entry of SARI/ILI suspects identified by survey teams on SARTHAK App.
- Daily Survey Summary (DSS) Form – to be entered daily on *mphealthresponse* portal.
- Management of suspects from MMU and fever clinic logins as per flow – examination/sampling/home quarantine/ referral to CCC/DCHC.
- Updation of test results and subsequent contact tracing of positives as per flow established.